तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
16/3/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी/प्रार्थी उपा अधि० अप्रार्थी अंतिम बहस हेतु पत्रावली दिनांक 9/4/26 को पेश हो।	
09/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 21/04/26 को पेश हो।	
21/04/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपा अधि० उभयपक्ष की बहस सुनी गई पश्चात वास्ते आदेश दिनांक 24/4/26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
24/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 29/4/26 को पेश हो।	
29/4/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 08/2025

1. देवकिशोर पुत्र हरिमोहन जाति धाकड निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

....................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0।
2. श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी (सैटलमैन्ट अधिकारी) भरतपुर।
3. ओमप्रकाश
4. इन्द्रजीत
5. जवाली पुत्रान नेता
6. खैमचन्द पुत्र किरोडी
7. ध्रुवसिंह पुत्र शिवलाल समस्त जातियान धाकड निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन।

...............असल अप्रार्थीगण

8. उदयराम
9. प्रतापसिंह पुत्रान हरिमोहन धाकड निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन।

..................तरतीवी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए

उपस्थिति

1. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री जगमीत सिंह एडवोकेट अप्रार्थी सं0 3 लगा0 7।

निर्णय **दिनांकः—29.04.2026**

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख.नं. 472,473 जिनके पुराने नम्बर 403मिन के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थी व तरतीव अप्रार्थीगण है। आराजी खसरा नम्बर 476 इसका पुराना नम्बर 1175/403 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 3,4,5 है तथा आराजी ख.नं. 475 पुराना नम्बर 1177/403 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 6 है एवं आराजी ख.नं. 474 पुराना नम्बर 1178/403 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 7 है उक्त विवादित आराजीयात बाके ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त आराजी रास्ते के खसरा नम्बर नया 479 के सहारे स्थित है। हम प्रार्थी व तरतीवी प्रार्थीगण खसरा नम्बर 472, 473 पर मौके पर रास्ते से लेकर पीछे तक लम्बवत तरफ दिशा पूर्व काबिज होकर पूर्व से ही लगातार काश्त कर रहे है ऐसे ही आराजी खसरा नम्बर 474, 475, 476 पर मौके पर रास्ते से लेकर पीछे तक लम्बवत दिशा पश्चिम तरफ पहले से ही काबिज होकर अप्रार्थी संख्या 3,4,5,6,7 काश्त कर रहे है। दौराने सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने हम पक्षकारान की बिना सहमति के मौके के विपरीत राजस्व रिकार्ड नक्शा में अंकन किया है जोकि गलत है कर्मचारियों ने नक्शा में रास्ते के खसरा नम्बर 479 की तरफ खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

476, 475, 474 को दर्शाया है तथा प्रार्थी व तरतीवी प्रार्थी के खसरा नम्वर 472, 473 को पीछे की तरफ दर्शाया है जोकि गलत व गैरकानूनी है चुकि उक्त सभी खसरा नम्बरान का पुराना खसरा नम्बर 403 था इसलिए राजस्व नक्शा में कर्मचारियों द्वारा इसलिए राजस्व नक्शा में कर्मचारियों द्वारा की गई गलत तरमीम को मौके के अनुसार शुद्ध कराया जाना आवश्यक हो गया है। उक्त आराजी बाबत् राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई अशुद्धि को शुद्ध कराने बावत् वादी ने दिनांक 30.05.2024 को राजस्व कर्मचारियों से मिलकर निवेदन किया तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश कराकर लाने को कहा जिसके कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 लगा0 7 की ओर से जगमीत सिंह एडवोकेट ने इकबाल जबाव पेश कर निवेदन किया कि सैटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना खातेदारान की सहमति के व मनमानी तरीके से तथा मौके के विपरीत राजस्व नक्शे में तरमीम कर दी गई है एवं मौके पर कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कर नक्शे में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 8 व 9 बाबजूद रजिस्टर्ड तामील हाजिर नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया कि विवादित खसरा नम्बर 472, 473, 474, 475, 476 पुराने खसरा नम्बर 403 से बनाये गये है एवं ग्राम मुढेरा के पुरानी नक्शा लठ्ठा में खसरा नम्बर 403 में कोई तरमीम आदिनांक तक नहीं है अतः उक्त स्थिति रिकार्ड अनुसार द्वन्द्वात्मक प्रतीत होती है। चुंकि मौके पर कबिजकाश्त हल्का पटवारी रिपोर्ट के बिंदु संख्या 3 में प्रस्तुत मौके के नजरी नक्शे के अनुसार है। अतः संबंधित खसरा नम्बरान को आपस में प्रतिस्थापित करते हुए प्रार्थीयान को अनुतोष दिया जाना उचित होगा।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 403 से दौराने सैंटलमेन्ट बनाये गये है। साविक खसरा नम्बर 403 की राजस्व नक्शे में कोई तरमीम नहीं हुयी है एवं दौराने सैटलमेन्ट उक्त साविक खसरा नम्बर से बनाये गये नये नम्बरों की तरमीम राजस्व नक्शे में खातेदारान की सहमति के बिना ही खिलाफ मौका एवं कब्जा कर दी गई है। अभिभाषक अप्रार्थीगण के द्वारा भी राजस्व नक्शे में मौके एवं कब्जा के अनुसार तरमीम कराये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाव एवं पत्रावली के साथ उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के द्वारा यदि राजस्व नक्शे में मौके एवं कब्जे अनुसार तरमीम करने का निवेदन किया है एवं तहसीलदार उच्चैन के द्वारा मौके पर कबिजकाश्त हल्का पटवारी रिपोर्ट के बिंदु संख्या 3 में प्रस्तुत मौके के नजरी नक्शे के अनुसार बताया है एवं संबंधित खसरा नम्बरान को आपस में प्रतिस्थापित करते हुए प्रार्थीयान को अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। उभयपक्ष की सहमति एवं तहसीलदार उच्चैन की अभिशंषा के आधार पर मौके एवं कब्जे के अनुसार राजस्व रिकार्ड नक्शे में शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 472/0.01, 473/0.34, 474/0.11, 475/0.10, 476/0.11है0 बाके ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन की तरमीम राजस्व नक्शे में मुताबिक मौका एवं कब्जा एवं रिपोर्ट पटवार हल्का मुढेरा बाके ग्राम मुढेरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बिंदू संख्या 3 में प्रस्तुत मौके के नजरी नक्शा अनुसार की जाकर नक्शे मे शुद्धि की जावे। पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इस निर्णय का जुज रहेगी।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन,भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)